# कार्यालय :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccfdevjhk@jharkhandmail.gov.in, Phone No. 0651-2481813


झारखण्ड सरकार

**पत्रांक : 01/यो0ब0–24/2017– 340 दिनांक : 07.03.2018**

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो/धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा/चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा।

**विषय :–** वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2023–24 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण एवं गैर वनभूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य के लिए कुल **रू0 442.313 लाख (चार करोड़ बयालीस लाख एकतीस हजार तीन सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

**प्रसंगः–** विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–09/2018 –45/स्वी0 व0प0 राँची, दिनांक 26.02.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0 बजट–09/2018–92, 93 एवं 94/आ0 व0प0 दिनांक 06.03.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–59–अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 442.313 लाख (चार करोड़ बयालीस लाख एकतीस हजार तीन सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

| प्राथमिक इकाई | विपत्र कोड | (राशि लाख में) |
|---|---|---|
| मजदूरी | 19S240601789590103 | 245.723 |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19S240601789590323 | 196.590 |
| कुल :– | | **442.313** |

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1 (क) एवं 1(ख)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2 (क) एवं 2(ख)** स्थल विवरणी **अनुलग्नक–3 (क) एवं (ख)** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–4** पर द्रष्टव्य है।

D:\2017-18\Development\Sub-Allotment 2017-18\SCSP\RSP\Advance Work\River, Gabion & NFL.doc

3. इस योजना का कोड संख्या– 19S240601789590103 तथा 19S240601789590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेग तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

8. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

17. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

18. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल को 1500 बाँस गैबियन सांसद आदर्श ग्राम में पौधारोपण हेतु उप आवंटित की जा रही है। जिन स्थलों का अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं है, संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही राशि का व्यय करेंगे तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी दी जाएगी।

19. गैबियन वनरोपण एक avenue plantation है, जिसमें 6–7 फीट के करंज, कटहल, बरगद,छतवन, महोगनी एवं Semrua के evergreen प्रजाति के पौधे ही लगाये जायेंगे।

**अनुलग्नक :– यथोक्त ।**

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–24/2017– 340** दिनांक– **07.03.2018**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/मेदिनीनगर/हजारीबाग/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/गिरिडीह/गढ़वा/चतरा/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :– यथोक्त ।**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–24/2017– 340** दिनांक– **07.03.2018**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, बोकारो/धनबाद/गिरिडीह/गढ़वा/चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :– यथोक्त ।**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1 (क)

**वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 229.90 प्रति मानव दिवस)**

(राशि लाख में)

| क्र. सं. | कार्यालय / वन प्रमण्डल का नाम | भौतिक लक्ष्य (बाँस गैबियन संख्या में) | वित्तीय वर्ष 2017–18 (अग्रिम कार्य) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि |
| | | | **475.89** | **458.40** | **934.29** |
| **i** | **ii** | **iii** | **vi** | **v** | **vi** |
| 1 | बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो | 5000 | 23.795 | 22.920 | 46.715 |
| 2 | धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद | 8200 | 39.023 | 37.589 | 76.612 |
| 3 | गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह | 13440 | 63.960 | 61.609 | 125.569 |
| 4 | गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह | 11500 | 54.727 | 52.716 | 107.443 |
| 5 | गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा | 1500 | 7.138 | 6.876 | 14.014 |
| 6 | चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा | 2000 | 9.518 | 9.168 | 18.686 |
| **योग :–** | | **41640** | **198.161** | **190.878** | **389.039** |

**अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास**
**झारखण्ड, राँची।**

D:\2017-18\Development\Sub-Allotment 2017-18\SCSP\RSP\Advance Work\BG & NFAdvance work

अनुलग्नक–1(ख)

**वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 229.90 प्रति मानव दिवस)**

(राशि लाख में)

| क्र. सं. | कार्यालय / वन प्रमण्डल का नाम | भौतिक लक्ष्य (हे0) | वित्तीय वर्ष 2017–18 (अग्रिम कार्य) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि |
| | | | 49543.45 | 5949.60 | 55493.05 |
| i | ii | iii | vi | v | vi |
| 1 | गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह | 96.00 | 47.562 | 5.712 | 53.274 |
| योग :– | | 96.00 | 47.562 | 5.712 | 53.274 |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

D:\2017-18\Development\Sub-Allotment 2017-18\SCSP\RSP\Advance Work\BG & NFAdvance work

# योजना का नाम– पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन के साथ वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

1. बाँस–गैबियन का आकार:6'-6"x2'-6"x2'-6"

2. स्पेसिंग – पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी0, पौधे से पौधे की दूरी – 5 मी0

3 मजदूरी दर प्रति मानव दिवस: 229.90 रूपये

| क्रम संख्या | कार्य की विवरणी | इकाई | मानव दिवस | कुल मजदूरी (रू0 में) | सामग्री (रु0 में) | कुल व्यय (रू0 में) | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| (A) | वित्तीय वर्ष 2017–18 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 229.90 | | | | | | |
| 1 | घेरान कार्य | | | | | | |
| क | बाँस का खूँटा –4 अदद (खूँटे की लंबाई 6'–6") एवं जाफरी हेतु बाँस (कुल 4 बाँस @ 80.00 रू. ; प्रति ग्रामीण बाँस) ढुलाई सहित | प्रति गैबियन | 0.00 | 0.00 | 320.00 | **320.00** | |
| ख | जाफरी का निर्माण एवं खूँटों में जाफरी को लगाना | प्रति गैबियन | 1.00 | 229.90 | 0.00 | **229.90** | |
| ग | खूँटों की कोलतार/ब्लैक जापान/ब्लैक पेन्ट से रंगाई | प्रति गैबियन | 0.20 | 45.98 | 6.00 | **51.98** | |
| घ | जाफरी की हरे एवं लाल पेंट से रंगाई | प्रति गैबियन | 0.30 | 68.97 | 90.00 | **158.97** | गर्म पेंट में डूबोकर रंगाई की जायेगी। गैबियन को एक हरा–एक लाल alternate स्थापित किया जायेगा। |
| ङ. | गैबियन का खूँटा लगाने हेतु एकरेखन, आवश्यकतानुसार समतलीकरण एवं खूँटा लगाने हेतु 1'x1'x1'-6" आकार के 4 गढ़ो को खोदना तथा खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना | प्रति गैबियन | 0.20 | 45.98 | 0.00 | **45.98** | |
| च | जाफरी सहित खूँटा लगाना–4 खूँटा –20 खूँटा प्रति मानव दिवस (ढुलाई सहित) | प्रति गैबियन | 0.20 | 45.98 | 15.00 | **60.98** | |
| छ | जाफरी हेतु | प्रति गैबियन | | 0.00 | | **0.00** | |
| | (1) तार 100 ग्राम (67/– रू. प्रति किलोग्राम) | | 0.00 | 0.00 | 6.70 | **6.70** | |
| | (2) कांटी 300 ग्राम (69/– रू. प्रति किलोग्राम) | | 0.00 | 0.00 | 20.70 | **20.70** | |
| 2 | मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 2'x2'x2' आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना | प्रति गैबियन | 0.17 | 39.08 | 0.00 | **39.08** | |
| | योग | | **2.07** | **475.89** | **458.40** | **934.29** | |
| (B) | वित्तीय वर्ष 2018–19 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 264.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2017–18 को आधार मानते हुए | | | | | | |
| 1 | पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित | प्रति गैबियन | 0.00 | 0.00 | 25.00 | **25.00** | छः फीट ऊँचाई के काष्ठ, फलदार एवं शोभाकार प्रजाति के Evergreen पौधे लगाए जाएंगे |
| 2 | गड्ढ़े में डालने हेतु बालू एवं वर्मी कम्पोस्ट का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू, वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ) | प्रति गैबियन | 0.15 | 39.60 | 20.00 | **59.60** | |
| 3 | पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम) | प्रति गैबियन | 0.10 | 26.40 | 2.00 | **28.40** | |
| 4 | तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव | प्रति गैबियन | 0.15 | 39.60 | 4.50 | **44.10** | |
| 5 | पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा) | प्रति गैबियन | 0.50 | 132.00 | 25.00 | **157.00** | |
| 6 | सुरक्षा | प्रति गैबियन | 0.50 | 132.00 | 0.00 | **132.00** | |
| 7 | साईन–बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग | प्रति गैबियन | 0.00 | 0.00 | 20.00 | **20.00** | |
| | योग | | **1.40** | **369.60** | **96.50** | **466.10** | |

| क्रम संख्या | कार्य की विवरणी | इकाई | मानव दिवस | कुल मजदूरी (रू0 में) | सामग्री (रू0 में) | कुल व्यय (रू0 में) | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| (C) | वित्तीय वर्ष 2019—20 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 304.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2018—19 को आधार मानते हुए | | | | | | |
| 1 | तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम— 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव | प्रति गैबियन | 0.15 | 45.60 | 4.50 | **50.10** | |
| 2 | पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा) | प्रति गैबियन | 0.50 | 152.00 | 5.00 | **157.00** | |
| 3 | बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा | प्रति गैबियन | 0.50 | 152.00 | 60.00 | **212.00** | |
| | **योग** | | **1.15** | **349.60** | **69.50** | **419.10** | |
| (D) | वित्तीय वर्ष 2020—21 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 350.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2019—20 को आधार मानते हुए | | | | | | |
| 1 | तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम— 5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव | प्रति गैबियन | 0.15 | 52.50 | 4.50 | **57.00** | |
| 2 | पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा) | प्रति गैबियन | 0.50 | 175.00 | 5.00 | **180.00** | |
| 3 | बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा | प्रति गैबियन | 0.50 | 175.00 | 60.00 | **235.00** | |
| | **योग** | | **1.15** | **402.50** | **69.50** | **472.00** | |
| | **कुल योग** | | **5.77** | **1597.59** | **693.90** | **2291.49** | |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

# वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर प्रति हे0

## योजना का नाम– अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण गैर–वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

**पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1666**

**पौधों की दूरी : (3 मी0 X 2 मी0)**

| क्र0 | कार्य का विवरणी | इकाई | मानव दिवस | मजदूरी (रू० में) | सामग्री (रू० में) | कुल व्यय (रू० में) | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii | viii |
| (A) | वित्तीय वर्ष 2017–18 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस = रू0 229.90 | | | | | | |
| 1 | सर्वेक्षण एवं सीमांकन | हे0 | 3.00 | 689.70 | 0.00 | 689.70 | |
| 2 | सामान्य झाड़ी | हे0 | 7.00 | 1609.30 | 0.00 | 1609.30 | |
| 3 | **ट्रेंच घेरान** – ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी., नीचे की चौड़ाई 1.22 मी., गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी) | 4 चेन प्रति हे0 | 100 | 22990.00 | 0.00 | 22990.00 | यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रेंच खोदी गयी है तो ट्रेंच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजित होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्रावधान करने के समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मशीन का कदापि प्रयोग न हों। |
| 4 | मृदा कार्य (0.3 मी. X 0.3 मी. X 0.3 मी.) 1666 पिट प्रति हे0 (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित) | हे0 | 33.00 | 7586.70 | 0.00 | 7586.70 | |
| 5 | अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ) | हे0 | 16.50 | 3793.35 | 0.00 | 3793.35 | |
| 6 | सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि) | | 0.00 | 0.00 | 2240.00 | 2240.00 | |
| 7 | मृदा एवं जल संरक्षण–गली प्लगिग/सिल्ट रिटेंशन डेम/कंटूर आदि (आवश्यकता अनुसार) | हे0 | 40 | 9196.00 | 0.00 | 9196.00 | |
| 8 | विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) | | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 9 | प्रवेश बिन्दु कार्य | हे0 | 16.00 | 3678.40 | 3559.60 | 7238.00 | |
| | योग :– | | **215.50** | **49543.45** | **5949.60** | **55493.05** | |
| (B) | वित्तीय वर्ष [illegible] में [illegible] कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति [illegible] (वृद्धि [illegible]) वित्तीय वर्ष [illegible] को आधार मानते हुए | | | | | | |
| 1 | अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित | हे0 | 21.50 | 5676.00 | 0.00 | 5676.00 | |
| 2 | वृक्षारोपण | हे0 | 36.50 | 9636.00 | 0.00 | 9636.00 | |
| 3 | दो कोड़नी एवं निकौनी | हे0 | 41.50 | 10956.00 | 0.00 | 10956.00 | |
| 4 | ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन | हे0 | 2.00 | 528.00 | 0.00 | 528.00 | |
| 5 | पौधों की सुरक्षा | हे0 | 9.16 | 2418.24 | 0.00 | 2418.24 | |
| 6 | सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि) | | 0.00 | 0.00 | 2365.00 | 2365.00 | |
| 7 | विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) | | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | |
| | योग :– | | **110.66** | **29214.24** | **2515.00** | **31729.24** | |
| (C) | वित्तीय वर्ष 2019–20 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस = रू0 304.00 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2017–18 को आधार मानते हुए | | | | | | |
| 1 | एक कोड़नी एवं निकौनी | हे0 | 23.00 | 6992.00 | 0.00 | 6992.00 | |
| 2 | सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि) | | 0.00 | 0.00 | 1892.40 | 1892.40 | |
| 3 | पौधों की सुरक्षा | हे0 | 12.16 | 3696.64 | 0.00 | 3696.64 | |
| 4 | गड्ढा घेरान की मरम्मत | हे0 | 4.00 | 1216.00 | 0.00 | 1216.00 | |
| 5 | मृत पौधों का प्रतिस्थापन | हे0 | 3.00 | 912.00 | 290.00 | 1202.00 | |
| | योग :– | | **42.16** | **12816.64** | **2182.40** | **14999.04** | |

| क्र0 | कार्य का विवरणी | इकाई | मानव दिवस | मजदूरी (रू0 में) | सामग्री (रू0 में) | कुल व्यय (रू0 में) | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii | viii |
| (D) | वित्तीय वर्ष 2020-21 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 350.00 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2018-19 को आधार मानते हुए | | | | | | |
| 1 | एक कोड़नी एवं निकौनी | हे0 | 23.00 | 8050.00 | 0.00 | 8050.00 | |
| 2 | सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि) | | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 1300.00 | |
| 3 | पौधों की सुरक्षा | हे0 | 12.16 | 4256.00 | 0.00 | 4256.00 | |
| 4 | मृत पौधों का प्रतिस्थापन | हे0 | 3.00 | 1050.00 | 290.00 | 1340.00 | |
| | **योग :–** | | **38.16** | **13356.00** | **1590.00** | **14946.00** | |
| [illegible] | वित्तीय वर्ष [illegible] | | | | | | |
| 1 | एक कोड़नी–निकौनी | हे0 | 23.00 | 9246.00 | 0.00 | 9246.00 | |
| 2 | सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि) | | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 3 | पौधों की सुरक्षा (60 हे0 तक) | हे0 | 12.16 | 4888.32 | 0.00 | 4888.32 | |
| 4 | घेरान की मरम्मत | हे0 | 4.00 | 1608.00 | 0.00 | 1608.00 | |
| | **योग :–** | | **39.16** | **15742.32** | **500.00** | **16242.32** | |
| [illegible] | वित्तीय वर्ष [illegible] | | | | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा (60 हे0 तक) | हे0 | 12.16 | 5617.92 | 0.00 | 5617.92 | |
| | **योग :–** | | **12.16** | **5617.92** | **0.00** | **5617.92** | |
| (G) | वित्तीय वर्ष [illegible] | | | | | | |
| 1 | पौधों की सुरक्षा (60 हे0 तक) | हे0 | 12.16 | 6469.12 | 0.00 | 6469.12 | |
| | **योग :–** | | **12.16** | **6469.12** | **0.00** | **6469.12** | |
| | **सकल योग :–** | | **469.96** | **132759.69** | **12737.00** | **145496.69** | |

**अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,**
**झारखण्ड, राँची**

# वित्ताय वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक कार्यान्वित की जानेवाली अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) अन्तर्गत राजकीय पथों पर पथतट गैबियन वनरोपण से सम्बंन्धित स्थल विवरणी

| क्रम सं0 | कार्यालय /प्रमंडल का नाम | प्रक्षेत्र का नाम | पथ का नाम | लम्बाई (किमी0) | भौतिक लक्ष्य (गै0 की संख्या) |
|---|---|---|---|---|---|
| i | ii | iii | iv | v | vi |
| 1 | बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो | बोकारो | चन्द्रपुरा से पुटकाडीह | 6 | 1200 |
| | | बोकारो | कोदवाडीह से नर्रा | 5 | 1000 |
| | | चास | रेलवे फाटक मोड से बालीडीह एन0एच0मोड़ तक भाया बोकारो रेलवे स्टेशन तक | 5 | 1000 |
| | | चास | मनसा सिंह गेट से आर0ओ0एच0डीपू तक (रेलवे सडक के किनारे) | 5 | 1000 |
| | | चास | आर0वी0एस0 कॉलेज से न्यू बाईपास रोड, बोकारो | 1 | 200 |
| | | पेटरवार | जैना बस्ती से बाँधडीह | 3 | 600 |
| | **योग :–** | | | **25** | **5000** |
| 2 | धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद | शहरी वानिकी प्रक्षेत्र, धनबाद | निरसा से बरबेदिया पुल, भाया एम0पी0एल0 गेट | 8 | 2200 |
| | | | धोवनी से खुटाहा | 5 | 2000 |
| | | | बेनागड़िया से पाण्ड्राबेजरा | 5 | 2000 |
| | | | झिलुआ मोड़ से सहराज से शंकरडीह मोड़ तक | 5 | 2000 |
| | **योग :–** | | | **23** | **8200** |
| 3 | गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह | गावां प्रक्षेत्र | मंडरो से तिसरी (जमुआ प्रखण्ड मुख्यालय से तिसरी प्रखण्ड मुख्यालय मुख्य मार्ग) | 10 | 4000 |
| | | गिरिडीह प्रक्षेत्र | गिरिडीह से सरिया (गिरिडीह प्रखण्ड मुख्यालय से सरिया प्रखण्ड मुख्यालय मुख्य मार्ग) | 10 | 4000 |
| | | खुरचुट्टा प्रक्षेत्र | चतरो से बेंगाबाद (देवरी प्रखण्ड से बेंगाबाद प्रखण्ड मुख्यालय मुख्य मार्ग) | 10 | 2800 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | खुरचुट्टा प्रक्षेत्र | गिरिडीह से गाण्डेय (गिरिडीह प्रखण्ड मुख्यालय से गाण्डेय प्रखण्ड मुख्यालय मुख्य मार्ग) | 10 | 2640 |
| | **योग :–** | | | **40** | **13440** |
| 4 | गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह | जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र | जमुआ से श्रवण पथ | 15 | 3500 |
| | | जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र | जमुआ से हीरोडीह पथ | 10 | 4000 |
| | | डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र | हीरोडीह से नीमाडीह पथ | 5 | 2000 |
| | | धनवार वनरोपण प्रक्षेत्र | खोरीमहुआ से सरिया पथ | 15 | 2000 |
| | **योग :–** | | | **45** | **11500** |
| 5 | गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा | | कितासोती खुर्द | | 750 |
| | | | मदगड़ी | | 750 |
| | **योग :–** | | | **0** | **1500** |
| 6 | चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा | हंटरगंज प्रक्षेत्र | पंखामोड से कौलेश्वरी भाया दन्तारी | 5 | 2000 |
| | **योग :–** | | | **5** | **2000** |
| **सकल योग :–** | | | | | **41640** |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

D:\2017-18\Development\Sub-Allotment 2017-18\SCSP\RSP\Advance Work\BG & NFAdvance work

अनुलग्नक–3 (ख)

# वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2023–24 तक कार्यान्वित की जानेवाली अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) अन्तर्गत गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण का स्थल विवरण

| क्रम सं0 | प्रमण्डल / कार्यालय का नाम | प्रक्षेत्र का नाम | प्रखण्ड | थाना / थाना नं0 | स्थल का नाम | प्लाट संख्या | रकबा (हे0 मे) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii | viii |
| 1 | गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह | जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र | जमुआ | जमुआ–375 | कोठवाटांड | 363, 367, 37, 347, 351 | 33 |
| | | | देवरी | देवरी–52 | बड़कीटांड | 111, 48 | 25 |
| | | | देवरी | देवरी–99 | महतोधरान | 477, 395, 574 | |
| | | | देवरी | देवरी–100 | करमाटांड | 247, 301, 82, 02 | 38 |
| | | | देवरी | देवरी–148 | जमुनियाँ | 115, 99 | |
| योग :– | | | | | | | **96** |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

## आवंटन आदेश

## झारखंड सरकार

झारखण्ड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-24/2017/340 दिनांक - 07-Mar-2

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S 19 240601789590103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)<br>Centeral Scheme : NA | 102804 | BKRFOR001<br>P.R. NAIDU<br>D F O, BOKARO | 664,800.00<br>रुपये छः लाख चौसठ हजार आठ सौ |
| 2 | S 19 240601789590103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)<br>Centeral Scheme : NA | 102809 | BKRFOR001<br>P.R. NAIDU<br>D F O, BOKARO | 1,714,700.00<br>रुपये स त्र ह लाख चौदह हजार सात सौ |
| 3 | S 19 240601789590103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)<br>Centeral Scheme : NA | 102810 | DHNFOR001<br>SRI SOURAV CHANDRA<br>DIVISIONAL FOREST OFFICER | 3,902,300.00<br>रुपये उनचालीस लाख दो हजार तीन सौ |

योग: 6,281,800.00

क्रमिक योग: रुपये बासठ लाख इक्कयासी हजार आठ सौ

Badhwar 7/3

(SHRI SATNAM SINGH

ADDI.PCCF DEVANAGAR JHARKHAND

RANCHI

 164.100.150.21 Run Date: 7/3/2018

पत्र संख्या - 01/YB-24/2017/340 दिनांक - 07-Mar-2

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 4 | S 19 240601789590103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)<br>Centeral Scheme : NA | 102814 | GRDFOR001<br>KUMAR ASHISH<br>DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. | 6,396,000.00<br>रुपये तीरसठ लाख छयानवे हजार |
| 5 | S 19 240601789590103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)<br>Centeral Scheme : NA | 102815 | GRDFOR003<br>SRI JANARDAN PRASAD KESHRI<br>D.F.O. GIRIDIH WEST FOR.DIV. | 10,228,900.00<br>रुपये एक करोड दो लाख अठाइस हजार नौ सौ |
| 6 | S 19 240601789590103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)<br>Centeral Scheme : NA | 102816 | GRHFWL004<br>SR ARVIND KUMAR<br>D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA | 713,800.00<br>रुपये सात लाख तेरह हजार आठ सौ |

योग: 17,338,700.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड छत्तीस लाख बीस हजार पांच सौ 23,620,500.00

(SHRI SATNAM SINGH

ADDI.PCCF(DEV.) JHARKHAND

RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-24/2017/340 दिनांक - 07-Mar-2

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 7 | S 19 240601789590103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)<br>Centeral Scheme : NA | 102817 | CTRFOR002<br>RAVINDRA NATH MISHRA<br>D.F.O, NORTH DIV. CHATRA | 951,800.00<br>रुपये नौ लाख इकावन हजार आठ सौ |
| 8 | S 19 240601789590323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)<br>Centeral Scheme : NA | 102823 | BKRFOR001<br>P.R. NAIDU<br>D.F.O, BOKARO | 2,292,000.00<br>रुपये बाइस लाख बयानवे हजार |
| 9 | S 19 240601789590323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)<br>Centeral Scheme : NA | 102825 | DHNFOR001<br>SRI SOURAV CHANDRA<br>DIVISIONAL FOREST OFFICER | 3,758,900.00<br>रुपये सैतीस लाख अठावन हजार नौ सौ |

योग: 7,002,700.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड छः लाख तेइस हजार दो सौ 30,623,200.00

(SHRI SATNAM SINGH

ADDI.PCCF DEVAN AFS HAND

RANCHI

 164.100.150.21 Run Date: 7/3/2018

पत्र संख्या - 01/YB-24/2017/340 दिनांक - 07-Mar-2

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 10 | S 19 240601789590323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)<br>Centeral Scheme : NA | 102826 | GRDFOR001<br>KUMAR ASHISH<br>DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. | 6,160,900.00<br>रुपये इकसठ लाख साहठ हजार नौ सौ |
| 11 | S 19 240601789590323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)<br>Centeral Scheme : NA | 102827 | GRDFOR003<br>SRI JANARDAN PRASAD KESHRI<br>D.F.O. GIRIDIH WEST FOR.DIV. | 5,842,800.00<br>रुपये अठावन लाख बयालीस हजार आठ सौ |
| 12 | S 19 240601789590323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme**<br>State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)<br>Centeral Scheme : NA | 102830 | GRHFWL004<br>SR ARVIND KUMAR<br>D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA | 687,600.00<br>रुपये छः लाख सित्यासी हजार छः सौ |

योग: 12,691,300.00

क्रमिक योग: रुपये चार करोड तैंतीस लाख चौदह हजार पाँच सौ 43,314,500.00

(SHRI SATNAM SINGH

ADDI.PCCF(DEVAN)JHARKHAND

RANCHI

 164.100.150.21 Run Date: 7/3/2018

पत्र संख्या - 01/YB-24/2017/340 दिनांक - 07-Mar-2

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 13 | S 19 240601789590323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme** | 102833 | CTRFOR002<br>RAVINDRA NATH MISHRA<br>D.F.O, NORTH DIV.<br>CHATRA | 863,700.00<br>रुपये आठ लाख तीरसठ हजार सात सौ |
| | State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)<br>Centeral Scheme : NA | | | |
| 14 | S 19 240601789590323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>**State Scheme** | 102837 | CTRFOR002<br>RAVINDRA NATH MISHRA<br>D.F.O, NORTH DIV.<br>CHATRA | 53,100.00<br>रुपये तीरपन हजार एक सौ |
| | State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279)<br>Centeral Scheme : NA | | | |

योग: 916,800.00

क्रमिक योग: रुपये चार करोड बयालीस लाख इकतीस हजार तीन सौ 44,231,300.00

(SHRI SATNAM SINGH BADHAWAN IFS)
ADDI.PCCF (DEV) JHARKHAND
RANCHI

 164.100.150.21 Run Date: 7/3/2018